

राजस्थान सरकार  
निदेशालय पशुपालन, जयपुर

क्रमांक : एफ.वी.12(1)स्था./ब-1/2018/9569

दिनांक : 12/4/2021

कार्यालय आदेश

पशुपालन विभाग के लिपिक, वाहन चालक अथवा अन्य कार्मिक जो अन्य विभागों में कार्यरत हैं एवं जिनकी प्रतिनियुक्ति/कार्यव्यवस्था हेतु जारी पूर्व समस्त आदेश एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं। ज्ञात हुआ है कि वाहन चालक वेतन आहरण तो पशुपालन से प्राप्त करते हैं जबकि अपनी सेवाएं अन्य विभाग में दे रहे हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि वाहन चालक अपने मूल पद स्थान पर दिनांक 20.04.2021 तक अपनी उपस्थिति प्रस्तुत कर निदेशालय को सूचना भिजवावे, समस्त नियंत्रण अधिकारी उक्त निर्देशों की तुरंत पालना सुनिश्चित करावें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि उक्त अवधि के पश्चात् उपस्थिति विभाग में नहीं देने की स्थिति में उनका वेतन आहरित नहीं किया जावे।

— ६० —

(डॉ. वीरेन्द्र सिंह)  
निदेशक

क्रमांक : एफ.वी.12(1)स्था./ब-1/2018/9570-9624

दिनांक : 12/4/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त अतिरिक्त निदेशक, (क्षेत्र) पशुपालन विभाग।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग।
3. समस्त उपनिदेशक पशुपालन विभाग।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

  
(डॉ० प्रदीप सारस्वत)

अति.निदेशक (फार्म एवं सम्पदा)